रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232724
CG-DL-E-18012022-232724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, मंगलवार , जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 19] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

**(वाणिज्य विभाग)**

**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

**जांच समाप्ति**

**विषय : संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) और रूस से "सोडा एश" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी मूल जांच की समाप्ति**

**फा. सं. 6/5/2021–डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना**

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात इसे "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) के तहत मैसर्स आर एस पी एल, मैसर्स जी एच सी एल और मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमिटेड (इसके बाद इन्हें 'आवेदक' अथवा 'आवेदक कंपनियों' के रुप में भी कहा गया है) ने संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोडा एश" (इसके बाद इसे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इन्हें "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से लिखित में एक आवेदन प्राप्त होने पर ही कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करने के लिए, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 27 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 6/5/2021- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

**ख. प्रक्रिया**

3. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (2) के तहत जांच शुरू करने के लिए आगे कार्यवाही शुरू करने से पूर्व, वर्तमान पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।

4. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई दिनांक 27 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 6/5/2021- डीजीटीआर के तहत एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

5. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ घरेलू उत्पादकों को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जांच शुरू करने की अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

6. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश से दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।

7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी ।

8. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रुप से संबद्ध सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर प्रदान करने हेतु दिनांक 13 सितंबर, 2021 को मौखिक सुनावाई आयोजित की ।

**ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध**

9. आवेदकों ने अपने दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित कारणों का उल्लेख करते हुए जांच को समाप्त करने का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका को वापस ली :

क. क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए मालभाड़ा प्रभारों पर विचार किए बिना कोई प्रयोजन हल नहीं होगा।

ख. लागत संबंधी कीमत और मांग के संबंध में वर्तमान बाजार संरचना पूरी तरह से अस्थिर और अनिश्चित है, जिसमें इस स्थिति की अवधि के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।

ग. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कोई निर्माण सुविधा नहीं है और आयात किए जा रहे उत्पाद ईरान के मूल के हैं तथा यह समझा जाता है कि पक्षकार अन्य देशों के माध्यम से ईरानी मूल की सामग्री का आयात करने के लिए तैयार हैं।

**घ. प्राधिकारी द्वारा जांच**

10. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उक्त अनुरोध की जांच की गई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियम 14 (क) का पाठ इस प्रकार से है :-

*निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करके कोई जांच तत्काल समाप्त करेंगे, यदि –*

*(क) उसे प्रभावित घरेलू उद्योग, जिसके आवेदन पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर से ऐसा करने के लिए लिखित में आवेदन प्राप्त हो ।*

11. घरेलू उद्योग द्वारा जांच वापसी के लिए किए गए उपरोक्त अनुरोध को देखते हुए, प्राधिकारी अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए इसे उचित नहीं मानते और एतद्द्वारा इस जांच को समाप्त करते हैं।

**ङ निष्कर्ष**

12. घरेलू उद्योग, अर्थात मैसर्स आर एस पी एल, मैसर्स जी एच सी, और मैसर्स डी सी डब्ल्यू लिमिटेड द्वारा नियमावली के नियम 14 (क) के प्रावधानों के साथ पठित उपरोक्त जांच वापसी के लिए किए गए अनुरोध को देखते हुए, प्राधिकारी एतद्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) और रूस से "सोडा एश" के आयातों के खिलाफ दिनांक 27 मई, 2021 की अधिसूचना सं. 6/5/2021- डी जी टी आर के तहत शुरू की गई जांच को समाप्त करते हैं।

अनंत स्वरुप, संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2022

**TERMINATION**

**Subject : Termination of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of "Soda Ash" from United Arab Emirates (UAE) and Russia.**

**F. No. 06/05/2021-DGTR.—A. Introduction**

1. As per the Custom Tariff Act,1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Custom Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules,1995 (hereinafter also referred as the "Rules" ),thereof, M/s RSPL, M/s GHCL, and M/s DCW Limited (hereinafter referred to as the 'applicants' or 'applicant companies') have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") on behalf of the domestic industry for initiation of antidumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of "Soda Ash" (hereinafter also referred as the "Product Under Consideration" or "Subject Goods") originating in or exported from United Arab Emirates (UAE) and Russia.

2. The Authority, based on prima facie evidence submitted by the Applicants, issued a Public Notice vide Notification no. 6/5/2021-DGTR dated 27th May 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping only upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry.

**B. Procedure**

3. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation as per Rule 6(2) of the Rules.

4. The Authority issued a public notice vide notification no 6/5/2021-DGTR dated 27th May 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods.

5. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters, known importers/users and the domestic industry as well as domestic producers as per the address made available by the Applicants and requested them to make their views known in writing within the prescribed time-limit.

6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassy of subject countries in India in accordance with Rule 6 (3).

7. The Embassies of subject countries in India were also requested to advice the exporters/ producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producer/exporters was also sent to them along with the names and address of the known producers/exporters from the subject country.

8. The Authority held oral hearing on dated 13th September, 2021 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance with the Rule 6 (6).

**C. Request Received from Domestic Industry**

9. The Applicants through an email dated 31st December 2021, citing the following reasons withdrew their petition, requesting termination of the investigation:

a. Without considering freight charges for determination of injury margin no purpose will be served.

b. The current market structure is quite fluid and uncertain as regards the cost price and demand with no clarity of duration of this situation.

c. There is no manufacturing facility in UAE and products being imported are of Iranian origin and it is understood that parties are prepared to import Iranian origin material through other countries.

**D. Examination by Authority**

10. The said request made by the domestic industry, has been examined. The Authority notes that Rule 14(a) reads as under

*The Designated Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if-*

*(a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.*

11. Keeping in view of the request of withdrawal by the domestic industry, the Authority does not consider it appropriate to deal with the various issues raised by several interested parties and hereby, terminates this investigation.

**E. Conclusion**

12. In view of the aforesaid withdrawal made by the domestic industry i.e. M/s RSPL, M/s GHCL, and M/s DCW Limited read with the provisions of Rule 14 (a) of the Rules, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification no 6/5/2021- DGTR dated 27th May 2021 against the import of “Soda Ash” from United Arab Emirates (UAE) and Russia.

ANANT SWARUP, Jt. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2022.01.18 22:25:14 +05'30'